न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी :: श्री दिनेश चन्द जैन आई.ए.एस.

रसद विविध :: 01/2017 ::

प्रार्थी :–	बनाम	अप्रार्थीः–
सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक, पाली		1. मुकेश कुमार शर्मा पुत्र बाबुलाल शर्मा निवासी मैन बाजार रानी स्टेशन, रानी हाल मैनेजर मैसर्स हैरीटेज होटल, सुमेरपुर रोड, पाली। 2. सोहनलाल पुत्र भंवरलाल अग्रवाल, ई–3, अम्बा माता टाउन, टैगोर नगर, पाली हाल मालिक मैसर्स हैरीटेज होटल, सुमेरपुर रोड, पाली।

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955</u>

प्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार उपस्थित

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक : 04.02.2020

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अप्रार्थीगण के विरुद्ध उनकी फर्म मैसर्स मारवाड हैरीटेज होटल, सुमेरपुर रोड, पाली, जिला पाली (राज.) से वक्त निरीक्षण दिनांक 09.02.2017 को मौके पर 4 घरेलू गैस सिलेण्डर (उपदर्शित मानक क्षमता 14.200 किग्रा) जिनमें 3 एच.पी. कम्पनी के जिनमें दो खाली एवं एक में 7.700 किग्रा तथा 1 इण्डेन कम्पनी का जिसमें 1.00 किग्रा गैस भरे हुए प्राप्त हुए जिनका अवैध संग्रहण कर उपयोग में लिए जाने पर जब्त कर राज्यसात करने हेतु पेश किया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण असालतन एवं वकालतन अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर, प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण किए जाने हेतु बहस सरकारी पैरोकार सुनी गई।

प्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार ने वक्त बहस कथन किया कि दिनांक 09.02.2017 को घरेलू गैस सिलेण्डर की कालाबाजारी व अवैध संग्रहण की रोकथाम हेतु श्री विनय कुमार शर्मा, जिला रसद अधिकारी, पाली मय श्री कमलकुमार पंवार, प्रवर्तन निरीक्षक, पाली, श्रीमती शिवानी अस्थाना, प्रवर्तन निरीक्षक बाली, एवं श्रीमती कृष्णा कंवर भाटी, प्रवर्तन निरीक्षक मा.जं. की संयुक्त टीम बनाकर पाली शहर में स्थित मैसर्स मारवाड़ हैरीटेज होटल, सुमेरपुर रोड, पाली पर पहुचें। मौके पर अप्रार्थी मुकेशकुमार शर्मा पुत्र बाबुलाल शर्मा उपस्थित मिला व उसने बताया कि वह प्रतिष्ठान का मैनेजर है तथा फर्म का मालिक श्री सोहनलाल पुत्र भंवरलाल अग्रवाल मौके पर अनुपस्थित मिला। प्रार्थी ने मौके पर रूबरू मौतबिरान श्री घनश्यामसिंह पुत्र किशनसिंह राजपुरोहित निवासी ग्राम चावण्डा, तहसील जोधपुर जिला जोधपुर हाल मैनेजर मै. लक्ष्मी इण्डेन गैस सर्विस पाली एवं श्री कमलेश भाटी पुत्र मांगीलाल घांची निवासी केशव नगर, गौशाला रोड, पाली हाल डिलीवरी मैन मैसर्स लक्ष्मी इण्डेन गैस सर्विस पाली की उपस्थिति में फर्म की जांच करने पर 4 घरेलू गैस सिलेण्डर (उपदर्शित मानक क्षमता 14.200 किग्रा) जिनमें 3 एच.पी. कम्पनी के जिनमें दो खाली एवं एक में 7.700 किग्रा तथा 1 इण्डेन कम्पनी का जिसमें 1.00 किग्रा गैस भरे हुए पाये गये। मौके पर अप्रार्थी से विधिक दस्तावेज मांगने पर घरेलु गैस सिलेण्डर संग्रहण कर व्यावसायिक उपयोग करने से संबंधित किसी प्रकार के वैद्य दस्तावेज नहीं पाये गए, न ही अप्रार्थी ने अपने नाम गैस कनेक्शन होना जाहिर किया। अप्रार्थी द्वारा वैद्य दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाए जाने पर प्रार्थी ने मैसर्स लक्ष्मी इण्डेन

जिला कलेक्टर, पाली

गैस, पाली के प्रतिनिधी से उपरोक्त जब्तसुदा सिलेण्डरों का तौल हैंगिंग स्केल मंगवा कर करवाया गया तथा इस प्रकार घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध रूप से व्यावसायिक उपयोग में लेते हुए एवं संग्रहण करते हुए पाए जाने के फलस्वरूप द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण एवं विनियमन) आदेश 2000 के क्लोज 3 ए.सी. की अवहेलना करने पर उपरोक्त सामग्री को जब्त कर वजह सबूत कब्जे में लेकर अग्रिम आदेश तक सुरक्षित रखने हेतु श्री घनश्यामसिंह पुत्र किशनसिंह राजपुरोहित निवासी ग्राम चावण्डा, तहसील जोधपुर हाल प्रोपराईटर मैसर्स लक्ष्मी इण्डैन गैस सर्विस, पाली को सुपुर्दगीनामे पर दिये गये। उपरोक्त समस्त कार्यवाही के संबंध में मौके पर मोबाईल फोन से फोटोग्राफ्स भी लिए गये जो पत्रावली संलग्न है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा उपरोक्त गैस सिलेण्डरो को बिना वैध परमिट के संग्रहण कर एवं घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग कर द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण एवं विनियमन) आदेश, 2000 के क्लोज 3 ए, सी की अवहेलना की है, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अर्न्तगत दण्डनीय अपराध है। अतः निवेदन है कि जब्तसुदा सिलेण्डर मय गैस एवं अन्य सामग्री को राज्यसात (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करावे।

सरकारी पैरोकार की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने जैर प्रार्थना पत्र जब्तसुदा 4 घरेलू गैस सिलेण्डर (उपदर्शित मानक क्षमता 14.200 किग्रा) जिनमें 3 एच.पी. कम्पनी के जिनमें दो खाली एवं एक में 7.700 किग्रा गैस तथा 1 इण्डेन कम्पनी का जिसमें 1.00 किग्रा गैस भरे हुए अप्रार्थी के व्यावसायिक परिसर मैसर्स मारवाड हैरीटेज होटल, सुमेरपुर रोड पाली, जिला पाली (राज.) से जब्त की, उक्त जब्तसुदा सामग्री की फर्द जब्ती पर अप्रार्थी व सुपुर्ददार निरीक्षक सभी के हस्ताक्षर है। प्रार्थी को अप्रार्थी के प्रतिष्ठान से घरेलू गैस के सिलेण्डर प्राप्त हुए है। इस संबंध में अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का अनुज्ञा पत्र एवं गैस कनेक्शन संबंधी वैध दस्तावेज निरीक्षणकर्ता प्रार्थी के समक्ष वक्त निरीक्षण पेश नहीं किए गए तथा न ही इस संबंध में न्यायालय में कोई दस्तावेज पेश किए गए है। जिससे स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी की दूकान से प्राप्त सिलेण्डर को घरेलू उपयोग नहीं लिए जाकर, उनका अपने प्रतिष्ठान में व्यावसायिक उपयोग करता था, जो पत्रावली संलग्न फोटोग्राफ से भी स्पष्ट है। अप्रार्थीगण द्वारा कारित उक्त कृत्य विधी विरूद्ध है। ऐसी परिस्थिति में अप्रार्थी श्री मुकेश कुमार द्वारा द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण एवं विनियमन) आदेश 2000 के क्लोज 3 ए.सी. की अवहेलना किए जाने से उसके पास से जब्तसुदा सामग्री को राज्यसात (Confiscate) किया जाना न्यायोचित पाते हैं।

परिणामस्वरुप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी द्वारा अपने प्रतिष्ठान पर घरेलू गैस सिलेण्डरो का अवैध व्यावसायिक उपयोग किए जाने पर 4 घरेलू गैस सिलेण्डर (उपदर्शित मानक क्षमता 14.200 किग्रा) जिनमें 3 एच.पी. कम्पनी के जिनमें दो खाली एवं एक में 7.700 किग्रा तथा 1 इण्डेन कम्पनी का जिसमें 1.00 किग्रा गैस भरे हुए को राज्यसात (Confiscate) किया जाता हैं। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी, पाली को प्रेषित कर आदेशित किया जाता है कि समस्त जब्तसुदा सामग्री सुपुर्ददार से प्राप्त कर घरेलु गैस सिलेण्डरो को मय गैस संबंधित कम्पनी में कम्पनी द्वारा निर्धारित दर पर कीमतन प्रदान करवाकर उससे प्राप्त राशि राजकीय कोष में जमा कर पालना रिपोर्ट भिजवावें।

निर्णय आज दिनांक 04.02.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश चन्द जैन)
जिला कलेक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली